(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 130 / 2022 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. गायत्री नन्दन गोद पुत्र हरिप्रसाद जन्म पिता मदनलाल जाति ब्राहमण नि. दुबलिया तहसील रायपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. रूकमणबाई बेवा हरिप्रसाद जाति ब्राहमण नि. भवानीमण्डी
2. भगवतीबाई पुत्री मदनलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राहमण नि. उज्जैन म0प्र0
3. मनोरमाबाई पुत्री मदनलाल पत्नि सुरेशचन्द जाति ब्राहमण नि. झालावाड
4. रमाकान्त त्रिपाठी पि. मदनलाल जाति ब्राहमण नि. झालरापाटन
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर
6. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय रायपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपरिथिति – वकील प्रार्थीगण – श्री हुकमचन्द कुमावत

वकील अप्रार्थीगण – श्री ईश्वर सिंह

आदेश दिनांक : 10/10/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 308 की वादग्रस्त आराजी किता 11 रकबा 8.5109 हेक्टर भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 2, 3, 4 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थी मदनलाल का पुत्र होने से 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु मौके पर अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त आराजी कन्हैयालाल पि. ओकारलाल के खातेदारी में दर्ज रही है जो उन्हे अपने पिता, पितामह से विरासत से प्राप्त हुई है। कन्हैयालाल के जीवनकाल में ही उनके छोटे पुत्र हरिप्रसाद का स्वर्गवास हो गया था तथा अप्रार्थी सं. 1 रूकमणबाई के कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.10.20 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2023

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

कुल किता 11 कुल रकबा 8.5109 हेक्टयर भूमि में अप्रार्थी नं. 01 रूकमण बाई का हिस्सा

Scanned with OKEN Scanner

(5)

जाइन्दा औलाद नहीं होने से हरिप्रसादजी ने प्रार्थी को बाल्यकाल में 3 वर्ष की उम्र में ही गोद लिया था जिसकी जानकारी गांव में सभी को है। प्रार्थी द्वारा हरिप्रसादजी के मरने के उपरांत जाति समाज के समस्त कार्यक्रम किये जिसकी जानकारी अप्रार्थी सं. 1 , उसके रिश्तेदार एवं सभी ग्रामवासियों को रही है। प्रार्थी विगत 60 वर्षो से अप्रार्थी सं. 1 को अपनी माता मानकर उनके साथ रहता आया है। कन्हैयालाल की मृत्यु के बाद विरासत नामा. दर्ज होने पर मदनलाल एवं हरिप्रसाद की विधवा रूकमणबाई का नाम राजस्व रिकार्ड में समान हिस्से से दर्ज हुआ परन्तु सम्पूर्ण आराजी पर काश्त मदनलाल ने की तथा उनके जीवनकाल से ही प्रार्थी व उसका भाई रमाकान्त कर रहा है। प्रार्थी मृतक हरिप्रसाद एवं अप्रार्थी सं. 1 रूकमणबाई का गोद पुत्र है जिस कारण से प्रार्थी हरिप्रसाद की भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 2, 3,4 को मात्र सहखातेदार होने से तकमिली पक्षकार बनाया है उनके विरूद्ध किसी प्रकार की राहत नहीं मांगी गई है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया ठोस प्रकरण है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी सं. 1 स्वयं या अपने पीहर से सहयोग ताकत या बाहुबल से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने या प्रार्थी को बेदखल करने, काश्त करने में रूकावट उत्पन्न करने, आराजी का अंतरण, हस्तानान्तरण, बेचान, रहन, वसीयत करने में सफल हो जाती है तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी भरपाई असंभव होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ग्राम दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 308 की वादग्रस्त आराजी किता 11 रकबा 8.5109 हेक्टर भूमि के 1/2 भाग का अप्रार्थी सं. 1 अंतरण , हस्तानान्तरण, बेचान, दान, रहन, वसीयत, हकत्याग नहीं करे एवं प्रार्थी को बेदखल नहीं करें।

प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम दुबलिया की जमाबंदी खाता सं. 308, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस, बेचान पत्र की छायाप्रति पेश की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री ईश्वरसिंह ने वकालतनामा पेश [illegible] जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर विशेष कथन [illegible] किया कि वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.10.20 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
झिड़वा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आराजियात अप्रार्थी सं. 1 के ससुर कन्हैयालाल पि. ओकारलाल के खाते, कब्जे काश्त की है जो पुश्तैनी है। कन्हैयालाल के दो पुत्र मदनलाल और हरिप्रसाद थे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी 2 लगायत 4 मदनलाल के वारीसान है तथा अप्रार्थी सं. 1 हरिप्रसाद की विधवा है। हरिप्रसाद की मृत्यु के समय अप्रार्थी सं. 1 की उम्र 17 वर्ष थी एवं प्रार्थी की उम्र मात्र दो माह थी। इस अवस्था में अप्रार्थी सं. 1 व उसके पति को किसी बच्चे को गोद लेने की आवश्यकता नहीं थी। ततसमय हरिप्रसाद के बड़े भाई मदनलाल के इकलौता पुत्र प्रार्थी ही था जिसकी उम्र 2 माह थी जिसे गोद दे देना संदेहाप्रद है क्योंकि मदनलाल के दूसरा पुत्र रमाकान्त हरिप्रसाद की मृत्यु के 5 वर्ष बाद जन्मा है। अप्रार्थी सं. 1 की आराजी पर आने जाने की नहीं बनती है तथा मुनाफा वाले समय पर राशि नहीं देते है इसलिये अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी आराजी का बेचान कर कब्जा खरीददार को संभला दिया है। प्रार्थी के पिता मदनलाल की मृत्यु के बाद मदनलाल के स्थान पर अन्य वारीसान के साथ प्रार्थी का नाम भी दर्ज है जिस पर वह काबिज काश्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र/जवाब पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम दुबलिया तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 308 की वादग्रस्त आराजी किता 11 रकबा 8.5109 हेक्टर भूमि में अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 2, 3, 4 का प्रत्येक का 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थी का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं को मृतक हरिप्रसाद का गोद पुत्र होना बताता है परन्तु इस बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं है। अप्रार्थीया सं. 1 को अपनी गोद माता बताता है जिसका विरोध स्वयं अप्रार्थिया सं. 1 रूकमणबाई करती है। राजस्व रिकार्ड में मृतक हरिप्रसाद के दर्ज नामा. में प्रार्थी का कही नाम दर्ज नहीं है। अप्रार्थिया सं. 1 अपने मृतक पति की भूमि पर बतौर खातेदार दर्ज हुई है। ऐसे में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया ठोस प्रकरण नहीं है एवं न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.10.20 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

आदेश

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध नहीं होता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने की स्थिति में अप्रार्थी सं. 1 को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना होगी। अतः सुविधाओ को संतुलित रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टीनेन्सी एक्ट खारीज किया जाता है।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

अभिषेक चारण
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.10.20 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

कुल रकबा 8.5109 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी नं 01 रूकमण बाई का हिस्सा

Scanned with OKEN Scanner